न्यायालय-विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय(पोक्सो अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
उपस्थितः:- मोहम्मद बाबर खान, एच०जे०एस०।
जे०ओ० कोड यू०पी० 02742

UPME010084562026
फौजदारी अपील संख्या- 101 सन् 2026

किशोर अपचारी 'क' पुत्र सोमपाल द्वारा प्राकृतिक संरक्षक/पिता सोमपाल पुत्र श्री दयाराम, निवासी ग्राम मामेपुर, थाना इंचौली, जिला मेरठ।

.....अपीलार्थी/किशोर अपचारी।

---बनाम---

1. उत्तर प्रदेश सरकार,
2. लविश पुत्र तेजवीर, निवासी ग्राम अटोरा, थाना मवाना, जिला मेरठ।

.....प्रत्यर्थीगण।

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री नरेन्द्र चौहान एवं श्री अवकाश जैन।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता- श्री एम.के. उपाध्याय एडवोकेट।
वादी के विद्वान अधिवक्ता- श्री विनोद कुमार चौधरी एडवोकेट।

निर्णय

01. वर्तमान फौजदारी अपील, किशोर अपचारी 'क' की ओर से विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 87/2026, सरकार बनाम किशोर अपचारी 'क' पुत्र श्री सोमपाल, मु०अ०सं० 120/2026, अन्तर्गत धारा 309(6), 317(2) भा०न्या०सं०, थाना इंचौली, जिला मेरठ के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 02.06.2026 से विक्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसके तहत किशोर अपचारी को उसकी संरक्षक की सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

02. किशोर अपचारी 'क' की ओर से वर्तमान अपील इस आधार पर योजित की गयी है कि विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। प्रार्थी/अपीलार्थी निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिवस की देरी से लिखायी गयी है, जिसका कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। किशोर अपचारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, बल्कि सह-अभियुक्त के परिवारजन द्वारा बताये जाने पर उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कथित घटना का जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है, जबकि घटनास्थल काफी आवा-जाही वाली स्थान है। पुलिस द्वारा वादी मुकदमा से किशोर अपचारी की कोई शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी है। वादी मुकदमा के साथ हुई मारपीट की घटना का कोई मैडिकल नहीं कराया गया है। किशोर अपचारी का कथित घटना में कोई विशिष्ट रोल नहीं दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं वादी के बयान धारा 180 भा०ना०सु०सं० में विरोधाभास है। किशोर अपचारी से कोई बरामदगी नहीं हुई, दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी है। किशोर

न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा दिनांक 25.05.2026 को अभियुक्त को किशोर अपचारी घोषित किया गया है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, वह दिनांक 09.05.2026 से सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध है, जिससे उसकी पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही है। किशोर अपचारी की जमानत होने के उपरान्त उसके किसी अपराधी के सहचर्य में आने की या शारीरिक या मनोवैज्ञानिक व नैतिक पतन होने की सम्भावना नहीं है तथा बाद जमानत उसके फरार होने तथा बुरी संगत में पड़ने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः उनकी ओर से किशोर अपचारी को उसके प्राकृतिक संरक्षक की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।

03. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि किशोर अपचारी द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट करते हुए उससे मोटर साईकिल एवं पर्स की लूट कारित की गयी है तथा दौरान विवेचना पुलिस द्वारा किशोर अपचारी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से प्रस्तुत मामले के संबंध में की गयी लूट की मोटर साईकिल की बरामदगी की गयी है। किशोर द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अगर उसको जमानत पर छोडा गया, तो उसके अपराधियों के सम्पर्क में आने की पूर्ण सम्भावना होगी तथा उसका नैतिक, शारीरिक व मानसिक पतन हो जायेगा। अतः अपील निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

04. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि किशोर अपचारी द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट की गयी तथा उससे लूट कारित की गयी है तथा पुलिस द्वारा उससे कथित लूट की मोटर साईकिल बरामद की गयी है। किशोर अपचारी घटना का मुख्य अभियुक्त है। यदि किशोर अपचारी को जमानत दी जाती है, तो उसके ज्ञात अपराधियों के संगत में आने की प्रबल संभावना है। किशोर अपचारी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत दिये जाने का विरोध किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से विधि व्यवस्था **Adil v. State of U.P. and 02 Other 2022 (1) J.Cr.C. 687 (Allahabad High Court), Criminal Revision 2126/2021, Minor son of Moolchand Through His Natural Guardian Grandfather Ved Prakash v. State of U.P. and another Order dated 13.09.2022** एवं **Criminal Revision No. 2521/2022, Juvenile (X) v. State of U.P. and 03 Another Order dated 22.11.2022** प्रस्तुत की गयी।

05. मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) की विस्तारपूर्वक

बहस सुनी गयी तथा अपील की पत्रावली एवं संबंधित पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का समग्र रूप से परिशीलन किया गया।

06. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से विदित है कि वादी मुकदमा लविश द्वारा वंश एवं 08 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 191(2), 191(3), 115(2), 309(4), 352, 351(3) भा०न्या०सं० के अन्तर्गत मु०अ०सं० 120/2026, थाना इंचौली, जिला मेरठ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वादी नगीन प्रकाशन सलारपुर से अपनी ड्यटूरी से दिनांक 02.05.2026 को शाम को वापस घर जा रहा थै। जब वह फिटकरी ग्राम से निकलकर फिटकरी अटौरा रोड पर एक ट्यूबवैल के पास पहुंचा, तो समय करीब 06.20 बजे ट्यूबवैल के पास पहले से ही वंश पुत्र बाबूराम अपने आठ साथियों के साथ अपने हाथ में डंडा लिये खड़ा था। जब वादी उनके पास पहुंचा, तो उक्त लोगों ने मारपीट व गाली-गलौच करना शुरू कर दिया। मारपीट की वजह से उसकी मोटर साईकिल HF Deluxe नम्बर UP 15 EY 2782 गिर गई। उसके शोर मचाने पर आस-पास के खेतों में काम करने वाले लोगों के आने पर वंश और उसके साथी वादी की मोटर साईकिल, जिसमें टिफिन, पर्स, आईकार्ड रखा था, छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उक्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी। वादी के अपने बयान धारा 180 भा०ना०सु०सं० के आधार पर किशोर अपचारी का नाम प्रकाश में आया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा दिनांक 08.05.2026 को मुखबिर खास से मिली सूचना के आधार पर इंचौली सर्विस रोड के पास से समय करीब 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से कथित लूट की मोटर साईकिल की बरामदगी की गयी। उक्त मुकदमें में बाद विवेचना विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के उपरान्त किशोर अपचारी 'क' के विरूद्ध 309(6), 317(2) भा०न्या०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.05.2026 के द्वारा अभियुक्त को घटना के दिनांक पर 18 वर्ष से कम आयु 16 वर्ष 04 माह 01 दिवस का किशोर अपचारी घोषित किया गया है। किशोर अपचारी 'क' की ओर से उपरोक्त प्रकरण में किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 87/2026 प्रस्तुत किया गया, जिस पर आदेश दिनांकित 02.06.2026 पारित करते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर वर्तमान अपील योजित की गयी है।

07. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से विदित है कि किशोर अपचारी के विरूद्ध सह-अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट करने तथा वादी से मोटर साईकिल, जिसमें उसका पर्स आदि सामान रखा था, की लूट कारित करने तथा पुलिस द्वारा लूट की मोटर साईकिल की बरामदगी

किये जाने का आक्षेप लगाया गया है। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 02.05.2026 को समय 18.20 बजे घटित होने का कथन किया गया है, परन्तु वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिवस के विलंब से दिनांक 05.05.2026 को समय 15.10 बजे पंजीकृत करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से पंजीकृत कराये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वंश एवं 08 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है, जिसमें किशोर अपचारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। जबकि विवेचक द्वारा दिनांक 08.05.2026 को वादी मुकदमा का बयान धारा 180 भा०ना०सु०सं० अंकित किया गया, जिसमें वादी द्वारा उसके साथ घटना वंश, किशोर अपचारी एवं दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कारित करने का कथन किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में 08 अज्ञात व्यक्तियों का नाम घबराहट में लिखवाये जाने का कथन किया गया है। विवेचक द्वारा किशोर अपचारी को दिनांक 08.05.2026 को समय करीब 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से लूट की कथित मोटर साईकिल की बरामदगी की गयी। किशोर अपचारी से हुई कथित बरामदगी का जनता का कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है। विवेचक द्वारा किशोर अपचारी की गिरफ्तारी वादी का बयान अंकित किये जाने के दिनांक को ही की गयी है। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने बयान धारा 180 भा०ना०सु०सं० में किशोर अपचारी एवं सह-अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करने का कथन किया गया है, परन्तु पत्रावली पर वादी की कोई आघात आख्या विद्यमान नहीं है।

08. पत्रावली के परिशीलन से यह भी विदित है कि विधि सह-परिवीक्षा अधिकारी, मेरठ द्वारा किशोर अपचारी के संबंध में सामाजिक अन्वेषण आख्या दिनांकित 27.05.2026 प्रस्तुत की गयी, जिसमें किशोर अपचारी को ग्राम मामेपुर, थाना इन्चौली, मेरठ का निवासी होना अंकित किया है। किशोर अपचारी के परिवार में उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं तथा माता गृहणी है। किशोर अपचारी को दो भाई है। किशोर अपचारी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मध्यम वर्गीय बतायी गयी है। किशोर अपचारी के परिजनों में आपस में संबंध सामान्य हैं। किशोर अपचारी की आदतों में टी.वी./फिल्में देखना, अतरंग/बहिरंग खेल खेलना अंकित किया गया है। किशोर अपचारी अपने मामा के पास रहकर मोटर मैकेनिक का कार्य सीख रहा है। किशोर अपचारी द्वारा कक्षा 10 तक की शिक्षा ग्रहण की गयी है। किशोर अपचारी एवं उसके परिजनों का आस-पड़ोस के व्यक्तियों से व्यवहार एवं आचरण सामान्य है। उसके आस-पड़ोस में कम शिक्षित व मध्यम आय वर्ग के लोग रहते हैं। किशोर अपचारी की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति सामान्य है तथा बुद्धिमत्ता आयु के सापेक्ष है। जांच के परिणाम में समस्याओं से सुझाए गए कारणों में परिवार द्वारा किशोर को समुचित मार्गदर्शन व निर्देशन प्रदान न करना अंकित किया गया है। वर्तमान में किशोर अपचारी राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में आवासित है, जहां उसका आचारण व व्यवहार

संतोषजनक है। परिवीक्षा द्वारा पुनर्वास के संबंध में सिफारिश की गयी कि किशोर की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी शिक्षा को जारी करना, नियमित रूप से उचित मार्गदर्शन व निर्देशन प्रदान करना, किशोरावस्था में सही-गलत का समुचित ज्ञान प्रदान करना व विकास के उचित अवसर प्रदान करना किशोर को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास में सहायक होगा। उक्त वाद में किशोर के दोषसिद्ध होने की स्थिति में किशोर से सामुदायिक सेवा कराये जाने की सिफारिश की गयी है।

09. **किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 12(1)** के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आधारों का उल्लेख करते हुए यह उपबन्धित किया गया है कि- "जब कोई व्यक्ति, जो प्रकट रूप से बालक है और जिसे जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध कारित करने के लिए अभिकथित किया गया हो, पुलिस द्वारा गिरफ्तार अथवा निरूद्ध किया जाता है अथवा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होता है, लाया जाता है तब ऐसे व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिभू सहित अथवा रहित जमानत पर निर्मुक्त किया जायेगा अथवा परीवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल के अधीन रखा जायेगा।"

परन्तु ऐसे व्यक्ति को निर्मुक्त नहीं किया जायेगा, यदि यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार होना प्रतीत होता है कि निर्मुक्ति उस व्यक्ति को किसी ज्ञात अपराधी के साहचर्य में लाने के लिये अथवा उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने के लिये सम्भाव्य है अथवा उस व्यक्ति की निर्मुक्ति न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

10. विधि व्यवस्था क्रिमिनल रिवीजन संख्या 393/2021, **Divyanshu Kumar Singh v. State of UP and another** निर्णीत दिनांकित 09.05.2021 व क्रिमिनल रिवीजन संख्या 136/2022, **Kuldeep Yadav and others v. State of UP though Principal Secretary and another** निर्णीत दिनांकित 01.04.2022 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किशोर को प्रतिभू रहित अथवा प्रतिभू के साथ जमानत पर मुक्त कर देना चाहिए। एक मात्र प्रतिबन्ध यह है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रकट होते हो कि उसकी मुक्ति उसे किसी ज्ञात अपराधी की संगत में लाने के लिए या उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने के लिए सम्भाव्य है अथवा उसकी मुक्ति न्याय के उददेश्यों को विफल बना देगी, तो उसे इस प्रकार मुक्त नहीं किया जायेगा।

11. सामाजिक अन्वेषण आख्या के अनुसार किशोर अपचारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसकी मानसिक व शारीरिक स्थिति सामान्य दर्शायी

गयी है तथा उसकी बुद्धिमत्ता आयु के सापेक्ष है। किशोर एवं उसके परिवार का आचरण एवं व्यवहार आस-पड़ोस के लोगों के साथ सामान्य है। किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा आदेश दिनांकित 25.05.2026 पारित करते हुए घटना के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम आयु अर्थात् 16 वर्ष 04 माह 01 दिवस निर्धारित की गयी है। किशोर के भविष्य को देखते हुए उसे नियमित रूप से उचित मार्गदर्शन एवं सही-गलत का समुचित ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है।

12. किशोर अपचारी में सुधार एवं उसके भविष्य के लिए और उसको समाज की मुख्य धारा से जोडने के लिए आवश्यक है कि उसको सही-गलत का ज्ञान प्राप्त कराया जाये और उसे समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाये और यह सब पारिवारिक वातावरण में ही सम्भव है।

13. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं सामाजिक अन्वेषण आख्या में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे यह विदित हो कि किशोर अपचारी जमानत पर रिहा होने पर ज्ञात व अज्ञात अपराधियों की संगत में आ जायेगा और उसके सुधार का अवसर समाप्त हो जायेगा। वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किशोर अपचारी नामजद नहीं है। वादी के बयान धारा 180 भा०ना०सु०सं० में किशोर अपचारी का नाम प्रकाश में आया है। किशोर अपचारी से दर्शायी गयी कथित लूट की मोटर साईकिल की बरामदगी का जनता का कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा घटना के तीन दिवस के पश्चात् विलंब से पंजीकृत करायी गयी है। वादी की कोई आघात आख्या पत्रावली पर विद्यमान नहीं है। किशोर अपचारी वर्तमान प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध चला आ रहा है। किशोर अपचारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्थाओं के तथ्य वर्तमान वाद के तथ्यों व परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न होने के कारण वर्तमान वाद पर लागू नहीं होते हैं। किशोर अपचारी को सुधार के लिए पारिवारिक वातावरण की आवश्यकता है, ऐसे में किशोर अपचारी को यदि जमानत प्रदान नहीं की गयी तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा और वह सुधार व शिक्षा के अवसर से वंचित रह जायेगा।

14. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई भी मत व्यक्त किये बिना किशोर अपचारी निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

15. अपीलार्थी/किशोर अपचारी 'क' पुत्र श्री सोमपाल की ओर से प्रस्तुत फौजदारी अपील संख्या 101/2026 स्वीकार की जाती है। किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 87/2026, मु०अ०सं० 120/2026, अन्तर्गत धारा 309(6), 317(2) भा०न्या०सं०, थाना इंचौली, जिला मेरठ के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 02.06.2026 अपास्त किया जाता है।

16. किशोर अपचारी को उसके प्राकृतिक संरक्षक श्री सोमपाल के द्वारा अंकन 50,000/-(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू व इस आशय की अंडरटेकिंग न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जावे।

(i). अपीलार्थी के माता-पिता एवं उसके परिवार के सभी सदस्यगण किशोर अपचारी की उचित देखभाल करेगें तथा परिवार में स्नेह से रखेगें।

(ii). किशोर अपचारी की शिक्षा पर विशेष ध्यान देगें तथा इस बात का विशेष ध्यान रखेगें कि अपीलार्थी किसी भी ज्ञात या अज्ञात अपराधी की संगत में न पड़े और अपने हम उम्र समूह के दुष्प्रभाव में न आये।

(iii). किशोर अपचारी वाद के निस्तारण में सहयोग करेगा तथा विचारणीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं धारा 313 द०प्र०सं० के लिए नियत प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv). किशोर अपचारी अभियोजन साक्ष्य के साथ कोई छेडछाड नहीं करेगा तथा वाद के निस्तारण में विलम्ब कारित नहीं करेगा।

(v). किशोर अपचारी किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

17. इस आदेश की एक प्रति सहित अवर न्यायालय की पत्रावली अविलंब अवर न्यायालय को प्रेषित की जाये।

18. बाद आवश्यक कार्यवाही अपील की पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक 06.07.2026 (मोहम्मद बाबर खान)
विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पोक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
जे.ओ. कोड यू०पी० 2742

19. यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षिरत एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक 06.07.2026 (मोहम्मद बाबर खान)
विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पोक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
जे.ओ. कोड यू०पी० 2742

This is uncertified copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.